सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 19, बुधवार, शाके 1943-नवम्बर 10, 2021

Kartika 19, Wednesday , Saka 1943- November 10, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 29, 2021

जी.एस.आर.373 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-। का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से संलग्न अनुसूची -। में, ग्रुप ख पैरा चिकित्सा संवर्ग (चिकित्सा) शीर्ष के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात 9-

" 2.	व्यवसाय चिकित्सा	100	विज्ञान (जीव विज्ञान/गणित) के साथ सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य, साथ में सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से व्यवसाय चिकित्सा में डिप्लोमा ।

"

[सं.एफ. 2(1)डीओपी/ए-।।/ 82 पार्ट]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, October 29, 2021

G.S.R.373 .-In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965 namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule- I.- In schedule-I appended to the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, under the heading Group B Para Medical Cadre (Medical), the existing serial number 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely :-

"2.	Occupational Therapist	100%	-	Senior Secondary with science (Biology/Mathematics) or its equivalent with Diploma in Occupational Therapy from an Institute recognized by Government.	-	- -

"

[No.F.2(1)DOP/A-II/82/pt.]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।